U;k;ky; Hkkjrh; vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy
izkf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy la0 13@2006

1. दरिया सिह पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ व जिला चूरू ।
2. दलेलसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ व जिला चूरू ।
3. असलकुमार पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ व जिला चूरू ।

vihykUV

cuke

1. रणजीत सिह पुत्र स्व0 श्रृगांरी पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी पोताबास कंला तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा ।
2. अंतरसिह पुत्र स्व0 श्रृगांरी पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी पोताबास कंला तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा ।
3. जिले सिह पुत्र स्व0 श्रृगांरी पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी पोताबास कंला तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा ।
4. कमला पुत्री स्व0 श्रृगांरी पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी पोताबास कंला तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा ।

5.मृतक रणवीर पुत्र स्व0 अमरचंद उर्फ अमरसिंह जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।

5/1 श्रीमती फुलवती पत्नी स्व0 रणवीर सिंह जाति जाट निवासीनी कालरी तहसील राजगढ व जिला चूरू ।

5/2 संगीता पुत्री स्व0 रणवीर सिंह जाति जाट निवासीनी कालरी तहसील राजगढ व जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

5/3 मनोज पुत्र स्व0 रणवीर सिंह जाति जाट निवासीनी कालरी तहसील राजगढ व जिला चूरू ।

6. तहसीलदार राजगढ जिला चूरू

jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री ललित गौतम अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; lgk;d dyDVj jktx< d fu.k; fnukd 22-02-2006 o fMØh fnukd 01-03-2006 d fo:} vihy

vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

<u>fu.k;</u> दिनांकः—10.09.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय दिनांक 22.02.2006 व डिक्री दिनांक 01.03.2006 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि हाल ख0न0 269 तादादी 18.11 बीघा, ख0न0 281 तादादी 10.05 बीघा, ख0न0 305 तादादी 48.07 बीघा व ख0न0 65 तादादी 14.15बीघा कुल तादादी 91.10 बीघा वाके रोही कालरी तहसील राजगढ द्वारा वादगत कृषि भूमि में वादिनी श्रंगारी, वादी सं0 2 रणवीरसिंह व प्रतिवादीगण रामजीलाल के 1/3 1/3 हिस्सा विभाजित कर निर्णय व डिक्री जारी की है जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि हाल ख0न0 269 तादादी 18.11 बीघा, ख0न0 281 तादादी 10.05 बीघा, ख0न0 305 तादादी 48.07 बीघा व ख0न0 65 तादादी 14.15बीघा कुल तादादी 91.10 बीघा वाके रोही कालरी तहसील राजगढ स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा खुबी पुत्र मोजा के खातेदारी की रही है । इनका खाता विभाजन से कृषि भूमि हाल [illegible] 17.03 बीघा, ख0न0 517/65 तादादी 7.08 बीघा रेस्पो0 सं0 5 रणवीरसि[illegible] के [illegible]ता अमरसिंह के हिस्से व ख0न0 520/281 तादादी 4.05 बीघा, ख0न0 523/30[illegible] तादादी 14 बीघा अपीलांट के पिता रामजीलाल के हिस्से में दर्ज [illegible] जिन कृषि भूमियों में रेस्पो0 सं0 1 ता 4 की माता स्व0 श्रृंगारी व रेस्पो0 [illegible]0 5 ने अपना 1/3 1/3 हिस्सा अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर एकपक्षीय निर्णय जारी करवा लिया । अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर अपीलांट जायज वारिस था जिसको दावा के कार्यवाही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 15:08:01 IST
Reason: SelfAttested

कोई सुचना व नोटिस जारी नही किया गया और एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 29.12.2005 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करवा विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिये गये जिसकी सुचना भी पटवारी या तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नही दी गयी । उसी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिंम डिक्री पारित कर दी गयी । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी है वो किसी भी तरह से कानून सम्मत नही है क्योंकि वादगत कृषि भूमियों में रेस्पो0 सं0 1 ता 4 व 5 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है क्योकि अपीलांट के पिता रामजीलाल व रेस्पो0 सं0 5के पिता अमरचंद दोनो सगे भाई थे । अमरचंद अपने ससुर मुगनाराम के दिनांक 10.01.1949 को गोद चला गया जिस कारण से कानूनन खुबीराम की कृषि भूमि में उसका हिस्सा नही रहा तथा रेस्पो0 सं0 1ता 4 की माता श्रृगांरी ने अपने को खुबीराम की जाईन्दा पुत्री बताते हुए 1/3 हिस्सा क्लैम किया जबकि श्रृंगारी खुबीराम की जाईदां पुत्री नही थी । खुबीराम के बड़े भाई माईधन के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसकी पत्नी सुखमा ने खुबीराम से नाता कर लिया उस वक्त सुखमा तीन माह की गर्भवती थी इसलिये खुबी के नुत्फे से श्रृंगारी पैदा नही हुई है वह माईधन की पुत्री रही है । इसलिये इसका खुबीराम के खातेदारी भूमि में कोई हिस्सा नही बनता है । इस तरह से खुबीराम की सम्पूर्ण भूमि का एकमात्र जायज अधिकारी अपीलांट का पिता रामजीलाल ही बनता है । अपीलांट के पिता रामजीलाल द्वारा वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने का एक दावा सहायक कलक्टर राजगढ के न्यायालय में दिनांक 31.08.80 को प्रस्तुत किया जिस वाद में अमरचंद के पुत्र रणवीर ने पक्षकार बनने का एक प्रार्थना पत्र आदेशक एक नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिसे सहायक कलक्टर राजगढ ने दिनांक 30.03.92 को स्वीकार कर लिया इस आदेश की एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में रामजीलाल द्वारा पेश की गयी जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.92 को अपास्त कर दिया तथा रणवीर को कोई हक खुबीराम की सम्पती में नही माना राजस्व मण्डल ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया कि जब अमरचंद गुगनराम के गोद चला गया तो खुबीराम की सम्पती में उसका कोई हक हिस्सा नही रहता है । वादगत कृषि भूमियों के संबंध में नायब तहसीलदार राजगढ द्वारा दिनांक 23.11.90 को नामान्तरकरण सं0 28 दर्ज किया गया जिसमें कृषि भूमि ख0न0 120 रकबा 4 बीघा ख0न0 123 रकबा 5.10 बीघा में श्रृंगारी रामजीलाल व अमरचंद के नाम ईतंकाल खोला गया जिसकी अपील रामजीलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के यंहा की गयी जिसे दिनांक 21.12.98 को स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 28 को निरस्त कर दिया गया । इस तरह से वादगत कृषि भूमि अपीलांट के पिता रामजीलाल के खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें श्रृंगारी व अमरचंद के वारिसान का कोई हक हिस्सा नही रहता है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2006 व डिक्री दिनांक 01.[illegible].2006 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक के अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि हाल ख0न0 269 तादादी 18.11 बीघा, ख0न0 281 तादादी 10.05 बीघा, ख0न0 305 तादादी 48.07 बीघा व ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

65 तादादी 14.15बीघा कुल तादादी 91.10 बीघा वाके रोही कालरी तहसील राजगढ स्थित है जिसमें छेलू, चंदगी पिसरान माईधन 1/2 हिस्सा व खुबी पुत्र भोजा 1/2 हिस्सा खातेदारी की कृषि भूमियां की खुबी का स्वर्गवास सन 1977 में हो चुका है । खुबी पुत्र भोजा के दो लडके रामजीलाल व अमरचंद व एक लडकी श्रृंगारी थी । अमरचंद सन 1949 में गुगनराम पुत्र ईशरराम निवासी खारिया के गोद चला गया । अमरचंद के गोद जाने से पूर्व वादी सं0 2 रणवीर सिंह का जन्म 08.02.1947 को हो चुका था । खुबीराम के स्वर्गवास होने के पश्चात रामजीलाल व अमरचंद ने कृषि भूमियों अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली और राजस्व अभीयान में आपस में फेसलनामा करके खाता विभाजन भी करवा लिया । खाता विभाजन से कृषि भूमि हाल ख0न0 522/305 तादादी 17.03 बीघा, ख0न0 517/65 तादादी 7.08 बीघा अमरचंद के हिस्से व 520/281 तादादी 4.05 बीघा, ख0न0 523/305 तादादी 14 बीघा रामजीलाल के हिस्से में दर्ज हो गयी जो गलत खिलाफ कानूनन नाजायज है । रेस्पो0/वादीगण व अपीलांट/प्रतिवादीगण जाति से हिन्दु है जिन पर हिन्दु कानून लागू होता है । प्रतिवादी सं0 2 अमरचंद के गोद जाने के बाद विवादित कृषि भूमि रेस्पो0/वादीगण व अपीलांट/प्रतिवादीगण सं0 1 की बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 आपस में सांठगांठ करके गलत नाजायज बिना अधिकार विवादित कृषि भूमि अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली । चूंकि वादगत कृषि भूमि खुबी पुत्र भोजा के नाम की खातेदारी की भूमि थी । खुबी पुत्र भोजा के दो पुत्र रामजीलाल व अमरचंद व एक पुत्री श्रृंगारी थी । अमरचंद के गोद जाने से पूर्व उसका पुत्र रणवीरसिंह पैदा हो चुका था । इस हिसाब से वादगत कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा बनता था जिसकी घोषणा करवाने की व खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी रेस्पो0/वादीगण थे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि में हिन्दु विधि अनुछेद कालम 5 पेज 557 में दत्तक संबंधी स्थिति में दत्तक जाने से पूर्व पेदा हुऐ पुत्र का अपने दादा की सम्पती में जन्मजात हक रहता है । इसी प्रकार से वादीनी श्रृंगारी का बहिस्सा बराबर अपने पिता की खातेदारी भूमि में बनता है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वादगत कृषि भूमि का रेस्पो0/वादीगण 1/1 से 1/4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, रेस्पो0/वादी सं0 2 रणवीर का 1/3 हिस्सा व अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/3 का बहिब 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार मानकर खाता विभाजन व अतिंम डिक्री जारी गयी है जो कानूनन विधि सम्वत है । अतः अपील अपीलांट की खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2006 व डिक्री दिनांक 01.03.2006 को यथावत रखा जावे ।

4. अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सी[illegible] कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद सं0 75/2001 [illegible] रामजीलाल के निर्णय दिनांक 22.02.06 एव डिक्री दिनांक 01.03.06 में खुबीराम के वारिसान रामजीलाल, अमरचंद व श्रृंगारी है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को प्रभावी पक्ष होते हुऐ भी पक्षकार नही बनाया गया अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

करने की स्वीकृति प्रदान की जावे । अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुऐ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार की जाती है ।

5. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कारणो व प्रस्तुत शपथ पत्र एवं बहस पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है ।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि हाल ख0न0 269 तादादी 18.11 बीघा, ख0न0 281 तादादी 10.05 बीघा, ख0न0 305 तादादी 48.07 बीघा व ख0न0 65 तादादी 14.15बीघा कुल तादादी 91.10 बीघा वाके रोही कालरी तहसील राजगढ स्थित है जो खुबीराम पुत्र भोजा की खातेदारी भूमि है । खुबीराम के तीन संतान थी रामजीलाल,अमरचंद उर्फ अमरसिंह व श्रृंगारी । अमरसिह सन 1949 में गुगनराम पुत्र ईशरराम निवासी खारिया के गोद चला गया । गोदनामा रजिस्ट्रड करवाया हुआ है । अमरसिंह का पुत्र रणवीरसिंह का जन्म 1947 में हुआ । रणवीरसिंह के जन्म के दो वर्ष पश्चात अमरसिंह गुगनराम के गोद चला गया । हिन्दु विधि अनुछेद 494 कालम 5 पेज न0 557 विधि मुल्ला में दत्तक संबंधी स्थिति दर्शाते हुए माना है कि दत्तक जाने वाले के दत्तक जाने से पूर्व पैदा हुए पुत्र का अपने दादा की सम्पति में जन्मजात हिस्सा होता है,इस तरह से अमरसिह के गोद जाने के पश्चात वादगत भूमि में रणवीर का 1/3 हिस्सा बनता है । खुबीराम के भाई माईधन की मृत्यु के पश्चात खुबीराम के द्वारा माईधन की पत्नी सुखमा से विधिवत विवाह करने के पश्चात पेदा हुई पुत्री भी वादगत भूमि में 1/3 हिस्से की हिस्सेदार बनती है । इस प्रकार से खुबीराम के वारिसान रामजीलाल के वारिसानो का 1/3 हिस्सा,अमरचंद के पुत्र रणवीर का 1/3 हिस्सा व श्रृंगारी के वारिसानों का 1/3 हिस्सा वादगत कृषि भूमि में हिस्सा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 22.02.2006 व डिक्री दिनांक 01.03.2006 के अनुसार रखा जाता है ।

7. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2006 व डिक्री दिनांक 01.03.2006को यथावत रखा जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

8. निर्णय आज दिंनाक 10.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:05:01 IST
Reason: SelfAttested

(egkohj [kjkMh½
iwoZ vf/kdkjh ,o
in~ ikhBklhu vf/kdkjh
chdkusj